न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या — 991 / 2024

अनवान : —

1. सन्तोष पत्नी सुरेश जाति महाजन अग्रवाल निवासी गंगाबिहार नांगल जैसा बोहरा जयपुर (राजस्थान)।

— वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बुरूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. मुखराम पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. शंकर उर्फ हरिशंकर पुत्र जोरमल जाति महाजन निवासी नोहर हाल 21 / 198 कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर।
4. सहबराम पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक:** 04/03/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 109 / 109 की कुल 27.0150 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए वादी हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 109 / 109 की कुल 27.0150 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, का खाता व लगान अलग किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.12 10:13:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किये जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को बावजूद नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकतरफीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा असरजाना सम्वत 2075–78 खाता स0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

109/109 पेश की। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही। वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 109/109 की कुल 27.0150 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 सन्तोष पत्नी सुरेश कौम महाजन अग्रवाल सा0 गंगाविहार नांगल जैसा बोहरा जयपुर खातेदार रहन एक्सिस बैंक नोहर– ख0न0 215/2 की 2.999 हैक्ट, 216/2 की 4.895 हैक्ट, ख0न0 228/2 में से 2.009 हैक्ट कुल रकबा 9.903 हैक्ट बारानी प्रथम

2 ओमप्रकाश पुत्र बीरूराम 1229/5704 हि0, मुखराम पुत्र बीरूराम 1229/5704 हि0, रामेश्वर पुत्र बीरूराम 487/4287 हि0, साहबराम पुत्र बीरूराम 4907/17112 हि0 कौमा जाट सा0 देह, शंकर पुत्र जोरमल 31/184 हि0 कौम महाजन सा0 नोहर खातेदार रहन ओमप्रकाश का हि0 पीएनबी शाखा नोहर, रामेश्वर का हि0 आरएमजीबी बिरकाली, शंकर का हिस्सा एसबीआई नोहर– ख0न0 255 की 3.895 हैक्ट, 256 की 3.326 हैक्ट, 228/2 में से 9.891 हैक्ट कुल रकबा 17.112 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.12 10:13:00 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 991/2024

अनवान : –

1. सन्तोष पत्नी सुरेश जाति महाजन अग्रवाल निवासी गंगाबिहार नांगल जैसा बोहरा जयपुर (राजस्थान)।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बुरूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. मुखराम पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. शंकर उर्फ हरिशंकर पुत्र जोरमल जाति महाजन निवासी नोहर हाल 21/198 कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर।
4. सहबराम पुत्र बीरूराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 991 सन 2014 निर्णय दिनांक 04/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 109/109 की कुल 27.0150 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 सन्तोष पत्नी सुरेश कौम महाजन अग्रवाल सा0 गंगाविहार नांगल जैसा बोहरा जयपुर खातेदार रहन एक्सिस बैंक नोहर– ख0न0 215/2 की 2.999 हैक्ट, 216/2 की 4.895 हैक्ट, ख0न0 228/2 में से 2.009 हैक्ट कुल रकबा 9.903 हैक्ट बारानी प्रथम

2 ओमप्रकाश पुत्र बीरूराम 1229/5704 हि0, मुखराम पुत्र बीरूराम 1229/5704 हि0, रामेश्वर पुत्र बीरूराम 487/4287 हि0, साहबराम पुत्र बीरूराम 4907/17112 हि0 कौमा जाट सा0 देह, शंकर पुत्र जोरमल 31/184 हि0 कौम महाजन सा0 नोहर खातेदार रहन ओमप्रकाश का हि0 पीएनबी शाखा नोहर, रामेश्वर का हि0 आरएमजीबी बिरकाली, शंकर का हिस्सा एसबीआई नोहर– ख0न0 255 की 3.895 हैक्ट, 256 की 3.326 हैक्ट, 228/2 में से 9.891 हैक्ट कुल रकबा 17.112 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग [illegible] पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 04/03/2025 [illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.12 10:13:00 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर